



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

‘सार्वजनिक सूचना’

मै० एम०आर०जे०वी० कन्स० कम्पनी द्वारा खसरा संख्या—1037, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1051, 1067 तथा 1068 ग्राम नूरनगर राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद पर निर्मित हाउसिंग सोसाइटी “पाम रिसोर्ट” के निर्माण हेतु प्राधिकरण द्वारा संशोधित मानचित्र संख्या—जी०डी०ए०/बी०पी०/21-22/1502 एवं जी०डी०ए०/बी०पी०/23.24/0413 दिनांक 02.08.2023 को स्वीकृत कराया गया, जिसकी वैधता अवधि 30.07.2028 तक है। उक्त परियोजना में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार 2B+G+13 से 2B+G+22 तक के फ्लोर बनाये जाने का प्राविधान है। विकासकर्ता मैसर्स एम०आर०जे०वी० कन्स० कम्पनी द्वारा ब्लॉक—2, टावर एडी में स्वीकृति से विचलन किये जाने पर अतिरिक्त तल के शमन हेतु आवेदन किया गया है। स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किये गये अतिरिक्त तल के निर्माण का शमन वर्तमान में प्रचलित शमन उपविधि के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त निर्माण को शमन/मानचित्र स्वीकृत किये जाने में किसी भी हित धारक को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर नोडल अधिकारी प्रवर्तन जोन—1 के कार्यालय को आपत्ति/सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नियत अवधि के उपरान्त यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होती है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि मैसर्स एम०आर०जे०वी० कन्स० कम्पनी द्वारा विकसित परियोजना (पाम रिजोर्ट) में स्वीकृति से अतिरिक्त किये गये निर्माण को शमन/मानचित्र स्वीकृत किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रभारी प्रवर्तन जोन—1

ई-मेल : helplinegda@gmail.com,  : @ Gda Ghaziabad  : @ gdagzb

हेल्पलाइन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प